न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–11, जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

पीठासीन अधिकारी : पुरवा चतुर्वेदी, आर0जे0एस0 (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौज0 अपील संख्या : 34/2026

सीआईएस नम्बर : 69/2026

वारिस खान पुत्र श्री आमीन खान, निवासी रेलवे कॉलोनी, थाना कोतवाली, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

.....अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।

.....प्रत्यर्थी

फौजदारी अपील विरूद्व निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 08.05.2026 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–14, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर, फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 583/2025, उनवानी सरकार बनाम वारिस खान, अंतर्गत धारा 304 (2) बी0एन0एस0
पीठासीन अधिकारी डॉ0 सरोज कुमारी चौधरी, आर0जे0एस0

उपस्थितिः–

1. श्री गोपाल तिवाडी अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/अभियुक्त।
2. श्री तेजकान्त नागरवाल अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य पक्ष/अप्रार्थी।

:: निर्णय :: **दिनांक : 13.08.2026**

1. प्रकरण के अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–14, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर के निर्णय व दण्डादेश दिनांक 08.05.2026 के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी डॉ0 रंगलाल मीणा ने पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गई कि ''दिनांक 27.03.2025 को प्रातः उसकी पत्नी घर से दूध लेने के लिए 5 बजे रेलवे कॉलोनी, यादव दूध डेयरी पर जा रही थी। रास्ते में ही घर से थोड़ी दूरी पर रोहिणी नगर में ही पीछे एक मोटरसाईकिल वाला, जिसके हेलमेट लगा रखा था, उसकी पत्नी के गले में से झपट्टा मारकर सोने का मंगलसूत्र, जिसका वजन लगभग दो तोला था, को तोडकर भाग गया। वह मोटरसाईकिल पर अकेला ही था,

उसने हेलमेट लगा रखा था, जिससे पहचान नहीं हो सकती.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 138/2025 अपराध अंतर्गत धारा 304 (2) बी0एन0एस0 में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया और बाद आवश्यक अनुसंधान अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304 (2) बी0एन0एस0 में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बहस चार्ज सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को जुर्म धारा 304 (2) बी0एन0एस0 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 लगायत पी0ड0 11 के बयान न्यायालय में लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श पी0 1 लगायत पी0 17 को प्रदर्शित कराया गया। साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया गया। बाद अन्वीक्षा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व आदेश दिनांक 08.05.2026 द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 304 (2) बी0एन0एस0 में दोषसिद्ध किया गया। उक्त निर्णय/आदेश दिनांक 08.05.2026 से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। आलोच्य निर्णय पारित करते समय विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य का गहनता से अनुशीलन ना कर सरसरी तौर पर आलोच्य दण्डादेश पारित किया है। गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है जो कि अपराध धारा 304 (2) बी0एन0एस0 में आता हो। प्रार्थी उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी की दिनांक से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है जो कि काफी सजा भुगत चुका है। अन्त में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 08.05.2026 को अपास्त करने एवं अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दु उत्पन्न होता है, कि –" **क्या विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 08.05.2026 विधिनुसार होने से पुष्ट किये जाने योग्य है ? "**

5. अपीलार्थी की ओर से आज दिनांक 13.08.2026 को एक प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वह विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में दोषसिद्धि को चुनौती नहीं देना चाहते है एवं केवल दण्डादेश के बिन्दु पर ही अपनी अपील का निस्तारण करवाना चाहते है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी जा रही है। **अतः विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से मुलजिम की जो दोषसिद्धि धारा 304 (2) बी0एन0एस0 के तहत की गई है, के निष्कर्ष को यथावत रखा जाता है,** केवल दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया।

6. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अधिरोपित सजा में से 16 माह से अधिक की सजा भुगत ली है। अभियुक्त प्रकरण की अन्वीक्षा सन् 2025 से भुगत रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को भुगती हुई सजा पर छोड़ दिया जावे। इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध कर कारावास के दण्ड को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. जहां तक दण्ड के परिमाण का प्रश्न है। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 304 (2) बी0एन0एस0 के अपराध में 02 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध चोरी व लूट के कई मामले लम्बित होकर चालान पेश होना बताया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपीलार्थी का आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया गया है, जो प्रदर्श पी0 16 है तथा अपीलार्थी इस प्रकरण में काफी समय से अभिरक्षा में निरूद्ध है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त के दण्डादेश को निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित करते है और दण्डादेश के परिमाण के सम्बन्ध में अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है ।

:: आदेश ::

8. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त वारिस खान पुत्र श्री आमीन खान, निवासी रेलवे कॉलोनी, थाना कोतवाली, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 304 (2) बी0एन0एस0 में दोषसिद्धि के निष्कर्ष के सम्बन्ध में अस्वीकार कर खारिज की जाती है, परन्तु दण्डादेश के परिमाण के सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को धारा 304 (2) बी0एन0एस0 के लिए 16 माह के साधारण कारावास और 5,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड मुलजिम एक माह का

साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। यदि उसने कोई अवधि दौराने अनुसंधान, जांच या विचारण पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में गुजारी है तो वह उसकी मूल सजा में मुजरा हो। उपरोक्तानुसार परिवर्तित सजा का सजायाबी वारन्ट बनाया जावे। निर्णय अपील की प्रति के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब भिजवायी जावे।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर

9. निर्णय अपील आज दिनांक 13.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर